

(विदेश मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित एवं
अनुमोदित)

भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद्
आज़ाद भवन, आई.पी. एस्टेट
नई दिल्ली

भर्ती नियम

2013

विषयसूची

संकल्प	4
1. उप-महानिदेशक के पद हेतु भर्ती नियम.....	6
2. निदेशक के पद हेतु भर्ती नियम.....	7
3. वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक के पद हेतु भर्ती नियम.....	8
4. कार्यक्रम निदेशक के पद हेतु भर्ती नियम.....	9
5. कार्यक्रम निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद हेतु भर्ती नियम.....	10
6. कार्यक्रम अधिकारी (लेखा) के पद हेतु भर्ती नियम.....	11
7. कार्यक्रम अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियम.....	12
8. सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियम.....	14
9. वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद हेतु भर्ती नियम.....	16
10. सहायक के पद हेतु भर्ती नियम.....	18
11. वरिष्ठ आशुलिपिक के पद हेतु भर्ती नियम.....	20
12. प्रवर श्रेणी लिपिक के पद हेतु भर्ती नियम.....	22
13. कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद हेतु भर्ती नियम.....	23
14. कनिष्ठ आशुलिपिक के पद हेतु भर्ती नियम.....	26
15. रेफ्रिजरेशन / एयरकंडीशन मैकेनिक के पद हेतु भर्ती नियम.....	27
16. इलेक्ट्रिशियन / प्रोजेक्शनिस्ट के पद हेतु भर्ती नियम.....	29
17. अवर श्रेणी लिपिक के पद हेतु भर्ती नियम.....	31
18. स्टाफ वाहन चालक के पद हेतु भर्ती नियम.....	33
19. सवार हरकारा के पद हेतु भर्ती नियम.....	35
20. बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पद हेतु भर्ती नियम.....	37
21. अनुलग्नक-1.....	39

भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद्
आज़ाद भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

दिनांक: 11 जनवरी, 2013

संकल्प

साधारण सभा, भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् के संविधान के नियम 5 के उप-नियम (ix) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् में समूह क, समूह ख और समूह ग के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् समूह क, समूह ख और समूह ग पद भर्ती नियम, 2013 है।
- (2) ये संकल्प के जारी करने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 से 20 के क्रम संख्या 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 से 20 के क्रम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के क्रम संख्या 5 से 12 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. प्रारंभिक गठन: इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले विभिन्न समूह क, समूह ख और समूह ग में विद्यमान ऐसे पदधारियों, जिनको इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में प्रकाशित सुसंगत अनुदेशों और नियमों (पूर्व में समूह घ पुनः वर्गीकृत समूह ग पदों सहित) के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त किया गया, द्वारा की गई सेवा को तत्समान ग्रेड (ग्रेडों) में नियमित सेवा माना जाएगा और इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद उनकी सेवाओं को सभी उद्देश्यों के लिए नियमित माना जाएगा।

6. ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार:

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या

पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

7. निरर्हता: वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

8. शिथिल करने की शक्ति: जहां भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा विदेश मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा या शैक्षिक अर्हता के मामले को छोड़कर, जहां प्रोन्नति के लिए समूह क और समूह ख पदों के संबंध में न्यूनतम अर्हक सेवा में कमी एक वर्ष तक हो वहां इसको शिथिल करते समय केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और समूह ग पदों के संबंध में इसको शिथिल करने की पूर्ण शक्तियां हैं।

9. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

10. निरसन: इन नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध कोई नियम, विनियम, आदेश आदि, जहां तक भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित है, इन नियमों के लागू होने की तिथि से ऐसे विरोध की मात्रा तक निरसित हो जाएगा।

महानिदेशक
भा.सां.सं.प. की साधारण सभा के लिए और उनकी ओर से

उप-महानिदेशक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	उप-महानिदेशक
2.	पद संख्या	3
3.	वर्गीकरण	समूह क
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 4 (37,400-67,000 रु.) ग्रेड वेतन: 10,000 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	66.6 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा और 33.4 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति: वेतन बैंड-4 (37,400-67,000 रु.)+ग्रेड वेतन 8700 रु. में निदेशक की श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो प्रतिनियुक्ति: ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो और जिन्हें द्विपक्षीय / बहुपक्षीय मंचों में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने सहित अंतरराष्ट्रीय संबंधों या कूटनीति को संभालने में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय - अध्यक्ष 2. सचिव, विदेश मंत्रालय - सदस्य 3. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - सदस्य 4. अपर सचिव, विदेश मंत्रालय - सदस्य

निदेशक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	निदेशक
2.	पद संख्या	3* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह क
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 4 (37400-67000 रु.) ग्रेड वेतन: 8700 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति: वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.)+ग्रेड वेतन 7600 रु. में वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक की श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो।
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. सचिव, विदेश मंत्रालय - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - सदस्य 3. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य सचिव 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन विभाग), विदेश मंत्रालय - सदस्य

वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक
2.	पद संख्या	8* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह क
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 3 (15600-39100 रु.) ग्रेड वेतन: 7600 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति: वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.)+ग्रेड वेतन 6600 रु. में कार्यक्रम निदेशक की श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो।
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. सचिव, विदेश मंत्रालय - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - सदस्य 3. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य सचिव 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन विभाग), विदेश मंत्रालय - सदस्य

कार्यक्रम निदेशक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	कार्यक्रम निदेशक
2.	पद संख्या	29* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह क
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 3 (15600-39100 रु.) ग्रेड वेतन: 6600 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति: वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.)+ग्रेड वेतन 5400 रु. में कार्यक्रम अधिकारी की श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो।
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो निदेशक स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

कार्यक्रम निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	कार्यक्रम निदेशक (वित्त एवं लेखा)
2.	पद संख्या	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह क
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 3 (15600-39100 रु.) ग्रेड वेतन: 6600 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	लागू नहीं
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हो या किसी केंद्रीय लेखा सेवा में वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.)+ग्रेड वेतन 5400 रु. में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर चार वर्ष नियमित सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।) टिप्पण: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	चयन समिति के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति पर कार्यक्रम निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद का चयन किया जाएगा, जो इस प्रकार होगी: 1. उप-महानिदेशक (ए), भा.सां.सं.प. 2. विदेश मंत्रालय का एक निदेशक स्तर का अधिकारी 3. भा.सां.सं.प. का एक निदेशक स्तर का अधिकारी

कार्यक्रम अधिकारी (लेखा) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	कार्यक्रम अधिकारी (लेखा)
2.	पद संख्या	2* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह क
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 3 (15600-39100 रु.) ग्रेड वेतन: 5400 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	लागू नहीं
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हो या लेखा काडर के ऐसे सहायक लेखा अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में छह वर्ष नियमित सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) टिप्पण: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	चयन समिति के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति पर लेखा अधिकारी के पद का चयन किया जाएगा, जो इस प्रकार होगी: 1. उप-महानिदेशक (ए), भा.सां.सं.प. 2. विदेश मंत्रालय का एक निदेशक स्तर का अधिकारी 3. भा.सां.सं.प. का एक निदेशक स्तर का अधिकारी

कार्यक्रम अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	कार्यक्रम अधिकारी
2.	पद संख्या	35* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह क
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 3 (15600-39100 रु.) ग्रेड वेतन: 5400 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/भा.सां.सं.प. के कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जाती है।)
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो। (ii) सरकारी विभागों या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या गैर-सरकारी संगठनों में सांस्कृतिक गतिविधियों को संभालने, महोत्सवों और प्रदर्शनियों का आयोजन करने या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या कार्मिक, प्रशासनिक या वित्तीय मामलों आदि को संभालने में सात वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>वांछनीय</p> <p>निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक या अधिक हो:</p> <p>i) अंग्रेजी साहित्य या किसी अन्य भारतीय भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री ii) अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा iii) पर्यटन और भारतीय विरासत या भारतीय संस्कृति या संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा iv) विदेशी भाषा में दक्षता का प्रमाण पत्र v) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम</p> <p>टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	66.6 प्रतिशत (2/3) पद प्रोन्नति द्वारा 33.4 प्रतिशत (1/3) पद सीधी भर्ती द्वारा - अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा आधार पर खुले चयन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	<p>प्रोन्नति: वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.)+ग्रेड वेतन 4600 रु. में सहायक कार्यक्रम अधिकारी की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, आदि के ऐसे अधिकारी; (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु. में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास क्रम सं. 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> <p>टिप्पण: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	<ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो निदेशक स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	सहायक कार्यक्रम अधिकारी
2.	पद संख्या	52* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ख
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 2 (9300-34800 रु.) ग्रेड वेतन: 4600 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/भा.सां.सं.प. के कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जाती है।)
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो। (ii) सरकारी विभागों या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या गैर-सरकारी संगठनों में सांस्कृतिक गतिविधियों को संभालने, महोत्सवों और प्रदर्शनियों का आयोजन करने या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या कार्मिक, प्रशासनिक या वित्तीय मामलों आदि को संभालने में पाँच वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>वांछनीय</p> <p>निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक या अधिक हो:</p> <p>i) अंग्रेजी साहित्य या किसी अन्य भारतीय भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री ii) अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा iii) पर्यटन और भारतीय विरासत या भारतीय संस्कृति या संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा iv) विदेशी भाषा में दक्षता का प्रमाण पत्र v) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम</p> <p>टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	50 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत पद खुले बाजार से सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति: वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.)+ग्रेड वेतन 4200 रु. में सहायक या वरिष्ठ आशुलिपिक की श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो टिप्पण: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी / पद में निर्धारित अर्हक सेवा के पूरा करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। प्रतिनियुक्ति: लागू नहीं सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा: सहायक या वरिष्ठ आशुलिपिक की श्रेणी के ऐसे पदधारी जिन्होंने वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4200 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हैं टिप्पण: अर्हक सेवा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो निदेशक स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
2.	पद संख्या	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ख
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 2 (9300-34800 रु.) ग्रेड वेतन: 4600 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु. के पद में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हैं; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु. के पद में पंद्रह वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास क्रम सं. 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।</p> <p>टिप्पण 1: ऐसा विभागीय कनिष्ठ अनुवादक जिसने उस स्तर में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, के संबंध में भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से</p>

		<p>ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	<ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो निदेशक स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

सहायक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	सहायक
2.	पद संख्या	20* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ख
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 2 (9300-34800 रु.) ग्रेड वेतन: 4200 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/भा.सां.सं.प. के कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जाती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो। वांछनीय: i) मान्यता प्राप्त संस्थान से यात्रा और पर्यटन में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। ii) वित्तीय / सेवा नियम / भारतीय इतिहास / विरासत / संस्कृति का ज्ञान iii) सरकारी विभागों या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या गैर-सरकारी संगठनों, आदि में सांस्कृतिक गतिविधियों को संभालने, महोत्सवों और प्रदर्शनियों का आयोजन करने या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या कार्मिक, प्रशासनिक या वित्तीय मामलों आदि को संभालने में तीन वर्ष का अनुभव हो। iv) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब

		चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	66.6 प्रतिशत (2/3) पद प्रोन्नति द्वारा और 33.4 प्रतिशत (1/3) पद सीधी भर्ती द्वारा - अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा आधार पर खुले चयन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति: प्रवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो परंतु नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पहले प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर विद्यमान पदधारी के संबंध में यह पाँच वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, आदि के ऐसे अधिकारी; (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु. में दस वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास क्रम सं. 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो निदेशक स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

वरिष्ठ आशुलिपिक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	वरिष्ठ आशुलिपिक
2.	पद संख्या	8* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ख
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 2 (9300-34800 रु.) ग्रेड वेतन: 4200 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/भा.सां.सं.प. के कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जाती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो। ii) कौशल परीक्षा मानदंड श्रुतलेख: 10 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: 60 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिंदी), केवल कंप्यूटर पर। iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	66.6 प्रतिशत (2/3) पद प्रोन्नति द्वारा और 33.4 प्रतिशत (1/3) पद सीधी भर्ती द्वारा - अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा आधार पर खुले चयन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।

<p>11.</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा</p>	<p>प्रोन्नति: कनिष्ठ आशुलिपिक की श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो परंतु नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पहले कनिष्ठ आशुलिपिक के पद पर विद्यमान पदधारी के संबंध में यह पाँच वर्ष होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, आदि के ऐसे अधिकारी; (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु. में दस वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास क्रम सं. 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> <p>टिप्पण: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
<p>12.</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो निदेशक स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

प्रवर श्रेणी लिपिक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	प्रवर श्रेणी लिपिक
2.	पद संख्या	25* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ग
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन: 2400 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति: वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)+ग्रेड वेतन 1900 रु. में अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो निदेशक स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

कनिष्ठ अनुवादक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	कनिष्ठ अनुवादक
2.	पद संख्या	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ख
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 2 (9300-34800 रु.) ग्रेड वेतन: 4200 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार भा.सां.सं.प. के कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जाती है। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषय के रूप में अंग्रेजी हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषय के रूप में हिंदी हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी अन्य विषय में हिंदी के साथ मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषय के रूप में अंग्रेजी हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषय के रूप में अंग्रेजी हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषय के रूप में हिंदी हो।

		<p>2. स्नातक डिग्री जिसमें मुख्य विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी हों अथवा दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य विषय हो और हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त संस्थान से मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हो।</p> <p>या</p> <p>केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पद से हटने से होने वाली रिक्ति के कारण इसे केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है:-</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. के पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास क्रम सं. 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।</p>
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	लागू नहीं
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	उपदर्शित की जाएगी।

कनिष्ठ आशुलिपिक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	कनिष्ठ आशुलिपिक
2.	पद संख्या	7* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ग
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन: 2400 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	लागू नहीं
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	आयु 18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/भा.सां.सं.प. के कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जाती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण की हो। ii) कौशल परीक्षा मानदंड श्रुतलेख: 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी), केवल कंप्यूटर पर। iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष

10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा - अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा आधार पर चयन द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पद से हटने से होने वाली रिक्ति के कारण इसे केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है:- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. के पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास क्रम सं. 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	लागू नहीं
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	उपदर्शित की जाएगी।

रेफ्रिजरेशन / एयरकंडीशन मैकेनिक के पद हेतु भर्ती नियम (एस.आई.यू. की सिफारिशों के अनुसार रिक्त होने पर पद को समाप्त कर दिया जाएगा)

1.	पदनाम	रेफ्रिजरेशन / एयरकंडीशन मैकेनिक
2.	पद संख्या	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ग
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन: 2400 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	27 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/भा.सां.सं.प. के कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जाती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: 1. मान्यताप्राप्त राज्य/केंद्रीय बोर्ड से मेट्रिकुलेशन हो। 2. रेफ्रिजरेशन / एयरकंडीशनिंग ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण की हो। 3. सभी प्रकार के एयरकंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के अनुरक्षण और मरम्मत में दो वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पद से हटने से होने वाली रिक्ति के कारण इसे केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है:- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. के पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास क्रम सं. 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	लागू नहीं
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो अवर सचिव स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

अनुसूची-16

इलेक्ट्रिशियन / प्रोजेक्शनिस्ट के पद हेतु भर्ती नियम (एस.आई.यू. की सिफारिशों के अनुसार रिक्त होने पर पद को समाप्त कर दिया जाएगा)

1.	पदनाम	इलेक्ट्रिशियन / प्रोजेक्शनिस्ट
2.	पद संख्या	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ग
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन: 2400 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	27 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/भा.सां.सं.प. के कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जाती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	1. मान्यताप्राप्त राज्य/केंद्रीय बोर्ड से मेट्रिकुलेशन हो। 2. इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण की हो। 3. इलेक्ट्रिकल अनुरक्षण, आंतरिक वायरिंग, रख-रखाव और श्रवण या दृश्य उपकरण, आदि सहित विभिन्न उपकरणों की मरम्मत में दो वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पद से हटने से होने वाली रिक्ति के कारण इसे केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है:- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. के पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास क्रम सं. 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	लागू नहीं
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो अवर सचिव स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

अवर श्रेणी लिपिक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	अवर श्रेणी लिपिक
2.	पद संख्या	26* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ग
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन: 1900 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	18-27 वर्ष। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/भा.सां.सं.प. के कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जाती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	1. मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य हो। 2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण करने की गति हो। वांछनीय: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हाँ
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	33.4 प्रतिशत (1/3) पद प्रोन्नति द्वारा और 66.6 प्रतिशत (2/3) पद सीधी भर्ती द्वारा - अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा आधार पर चयन द्वारा।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति: भा.सां.सं.प. के बहु कार्य कर्मचारिवृद्ध के स्तर में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो अवर सचिव स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

स्टाफ कार चालक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	स्टाफ कार चालक
2.	पद संख्या	10* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ग
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन: 1900 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	लागू नहीं
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	<p>25 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/भा.सां.सं.प. के कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जाती है।)</p> <p>टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p>टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य अर्हताएं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। 2. ऑटोमोबाइल के कल-पुर्जों की जानकारी हो (अभ्यर्थी वाहन में मामूली खराबी ठीक करने में सक्षम होना चाहिए) 3. कम से कम 3 वर्षों का मोटर कार ड्राइविंग में अनुभव हो। 4. मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। <p>वांछनीय: होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में 3 वर्ष सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पद से हटने से होने वाली रिक्ति के कारण इसे केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है:- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1800 रु. के पद में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास क्रम सं. 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	लागू नहीं
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो अवर सचिव स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

सवार हरकारा के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	सवार हरकारा
2.	पद संख्या	3* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ग
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन: 1900 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	लागू नहीं
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	<p>25 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/भा.सां.सं.प. के कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जाती है।)</p> <p>टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p>टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	<p>अनिवार्य अर्हताएं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। 2. मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने में दो वर्ष का अनुभव हो। 3. मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा के कल-पुर्जा की बुनियादी जानकारी हो (अभ्यर्थी वाहन में मामूली खराबी ठीक करने में सक्षम होना चाहिए) 4. अंग्रेजी और हिंदी या उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा जिसमें संबंधित संगठन स्थित है, को पढ़ने की क्षमता हो। <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में 3 वर्ष सेवा की हो।

		टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पद से हटने से होने वाली रिक्ति के कारण इसे केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है:- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1800 रु. के पद में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास क्रम सं. 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	लागू नहीं
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो अवर सचिव स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	बहु कार्य कर्मचारिवृंद **
2.	पद संख्या	43* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	समूह ग
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन: 1800 रु.
5.	चयन अथवा अचयन पद	लागू नहीं
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण किया हो। या मान्यताप्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र हो* *पद की विशेष आवश्यकता के अनुसार, यदि कोई हो, अपनाया जा सकता है।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा - खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षा और/या कौशल परीक्षा के आधार पर। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पद से हटने से होने वाली रिक्ति के कारण इसे केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर

		भरा जा सकता है:- (क) जो नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास क्रम सं. 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	लागू नहीं
12.	विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा चयन समिति की संरचना	1. महानिदेशक, भा.सां.सं.प. - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (ए) - सदस्य 3 व 4. विदेश मंत्रालय के दो प्रतिनिधि जो अवर सचिव स्तर के अधिकारी हों - सदस्य

** निम्नलिखित भूतपूर्व समूह घ पदों को मिलाकर बना है

पैकर	02
दफ्तरी	02
जमादार	01
भण्डार परिचर	01
प्रधान माली	01
चपरासी	21
फराश	04
सफाई कर्मचारी	05
चौकीदार	06
कुल	43

1 मई, 2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् के काडर में स्वीकृत/कार्यरत नफरी का विवरण

क्र.सं. (1)	पद की श्रेणी (2)	वर्तमान स्वीकृत नफरी (3)	वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त पद (अगस्त, 2010) (4)	संशोधित स्वीकृत नफरी (5)	वर्तमान कार्यरत नफरी (6)
समूह 'क'					
1.	निदेशक (वेतन बैंड-4 37400-67000 + ग्रेड वेतन 8700)	03	---	03	03
2.	वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक (वेतन बैंड-3 15600-39100+ ग्रेड वेतन 7600)	06	02	08	05
3.	कार्यक्रम निदेशक (वेतन बैंड-3 15600-39100+ ग्रेड वेतन 6600)	23	07	30	24
4.	कार्यक्रम अधिकारी (वेतन बैंड-3 15600-39100 + ग्रेड वेतन 5400)	30	07	37	28
	कुल	62	16	78	60
समूह 'ख'					
5.	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600)	47	05	52	43**
6.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक (वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600)	01	--	01	--
	कुल	48	05	53	43
समूह 'ग'					
7.	सहायक (वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200)	20	--	20	21***
8.	वरिष्ठ आशुलिपिक (वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200)	08	--	08	02
9.	प्रवर श्रेणी लिपिक (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400)	20	05	25	18

10.	कनिष्ठ आशुलिपिक (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400)	07	--	07	05
11.	कनिष्ठ अनुवादक (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400)	01	--	01	--
*12.	रेफ्रिजरेशन / एयरकंडीशन मैकेनिक (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400)	01	--	01	01
*13.	इलेक्ट्रीशियन / प्रोजेक्शनिस्ट (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400)	01	--	01	01
14.	अवर श्रेणी लिपिक (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900)	26	--	26	18
*15.	स्टाफ वाहन चालक (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900)	10	--	10	06
16.	सवार हरकारा (डिस्पैच राइडर) (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900)	03	--	03	03
	कुल	97	05	102	75
समूह 'घ' ****					
*17.	पैकर (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800)	02	--	02	02
18.	दफ्तरी (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800)	02	--	02	01
19.	जमादार (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800)	01	--	01	01
20.	भंडार परिचर (स्टोर अटेंडेंट) (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800)	01	---	01	01
21.	प्रधान माली (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800)	01	---	01	01
22.	चपरासी (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800)	21	---	21	15

*23.	फराश (वेतन बैंड -1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800)	04	--	04	04
*24.	सफाई कर्मचारी (वेतन बैंड -1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800)	05	---	05	05
*25.	चौकीदार (वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800)	06	---	06	05
	कुल	43	--	43	35
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	250	26	276	213

स्वीकृत नफरी 276

कार्यरत नफरी 213

- * दिनांक 29 जनवरी, 2009 की एस.आई.यू. रिपोर्ट सं. 25/02/2005/एसआईयू के अनुसार पद को रिक्त होने पर समाप्त कर दिया जाएगा और रिक्त पदों को बाह्य स्रोतों (आउटसोर्स) से भरा जाएगा।
- ** सहायक कार्यक्रम अधिकारी - 21 मई, 2010 को आयोजित कनि. विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के दो पदों का सहायक के पद पर अवनयन कर दिया गया और वित्त मंत्रालय द्वारा 5 अतिरिक्त पद अनुमोदित किए गए। दो रिक्तियां प्रोन्नति कोटे के अंतर्गत हैं जिसमें एक अनुसूचित जनजाति की बैकलॉग रिक्ति भी शामिल है।
- *** सहायक - एक रिक्त पद सीधे भर्ती कोटे के अंतर्गत है, जिसे एसआईयू अध्ययन के कारण भरा नहीं जा सका। 21 मई, 2010 को आयोजित कनि. विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के दो पदों का सहायक के पद पर अवनयन कर दिया गया।